CNR No.- **UPFR010002312026**

न्यायालय सेशन न्यायाधीश, फर्रूखाबाद।

पीठासीनः नीरज कुमार (एच०जे०एस०), आई०डी०नं०यू०पी० 1907

आपराधिक निगरानी सं०–06/2026

नीरज कटियार उम्र लगभग 52 वर्ष पुत्र अजय सिंह कटियार निवासी मल्लापुर थाना बिल्हौर जिला कानपुर नगर।

..... निगरानीकर्ता

बनाम

1– उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा जिलाधिकारी

2–नीरज कुमारी पुत्री रामेश्वर दयाल निवासी राजा नगला थाना कोतवाली फतेहगढ़ जिला फर्रुखाबाद।

.....उत्तरदातागण

निर्णय

1– प्रस्तुत आपराधिक निगरानी, परिवाद संख्या 15520/2024 नीरज बनाम नीरज कुमारी में विद्वान अपर सिविल जज/जे.एम. एफ.टी.सी.–2, फर्रूखाबाद द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 15.12.2025 के विरुद्ध संस्थित की गयी है, जिसके द्वारा निगरानीकर्ता की तरफ से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 245(2) दं.प्र.सं. को निरस्त किया गया।

2– संक्षेप में निगरानी के तथ्य इस प्रकार हैं कि उत्तरदाता संख्या 02/परिवादिनी द्वारा निगरानीकर्ता व अन्य के विरुद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि परिवादिनी का विवाह नीरज कुमार कटियार के साथ दिनांक .06.06.1998 को हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार हुआ था तथा विवाह में परिवादिनी के माता पिता द्वारा सामर्थ्यनुसार स्त्रीधन जेवर ,कपडा परिवादिनी की विदा के समय नीरज कुमार व उनके माता पिता को सुपुर्द कर दिया। विवाह से पश्चात से नीरज कुमार, अजय कुमार कटियार (ससुर) व नीरज कुमार की माँ दहेज में 40 हजार रुपये नगद व फ्रिज को लेकर प्रताडित करने लगे। इस पर परिवादिनी के घरवालों ने समझाया लेकिन ससुराल वाले नहीं माने और दहेज की मांग पूरी न होने पर घर से निकाल दिया और परिवादिनी का स्त्रीधन वापस नहीं किया। शादी के मधस्थ के बीच भी ससुरालीजन को समझाया गया परन्तु वे लोग नहीं माने और न ही उन्होंने स्त्रीधन वापस किया। अभियुक्तगण ने धारा 406 भा.दं.सं. व 6 दहेज

Digitally signed by NEERAJ KUMAR
Date: 2026.06.03 16:53:59 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

प्रतिषेध अधिनियम का जुर्म घटित किया है,अभियुक्तगण को तलब कर दण्डित करने की कृपा करें।

3– परिवादी द्वारा अपने परिवादपत्र के समर्थन में स्वयं को धारा 200 दं०प्र०स० के अंतर्गत एवं साक्षी पी.डब्लू. 1 रघुवीर को धारा 202 दं०प्र०स० के अंतर्गत विचारण न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराया गया। तदोपरांत विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा तर्क तलबी पर सुनवाई करने के पश्चात दिनांक 15.03.2001 को निगरानीकर्ता एवं अन्य को धारा 406 भा०दं०सं० तथा धारा 6 डी पी एक्ट में विचारण हेतु आहूत किया गया।

4– दौरान विचारण न्यायालय में निगरानीकर्ता एवं दो अन्य द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 245(2) दं.प्र.सं. संक्षेप में इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि परिवाद में परिवादिनी ने दर्शाया है कि परिवादिनी के सास ससुर व पति नहीं माने एवं यह कह कर घर से निकाल दिया कि जब तक दहेज की मांग पूरी नहीं करोगे तब तक नहीं रखेगें, वादिनी मजबूर हो कर अपने पिता के घर चली गयी। रिवीजनकर्ता व उसके माता पिता के विरुद्ध मु.अप.सं. 331/2000 विपक्षिनी संख्या 2 ने पंजीकृत कराया था, जिसमें विवेचक द्वारा अन्तिम आख्या प्रेषित कर दी गयी थी जिस पर विपक्षिनी द्वारा न्यायालय समक्ष प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया और विपक्षिनी द्वारा प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र पर पैरवी न करने के कारण उसे निरस्त किया गया और अन्तिम आख्या स्वीकार की गयी। विपक्षिनी संख्या 2 ने दहेज एक्ट के मुकदमें व भरण पोषण के वाद में कहीं भी नहीं दर्शाया कि मेरा स्त्रीधन छीनकर घर से निकला दिया। विचारण न्यायालय में हुए वादिनी एवं गवाहन के बयान से साबित नहीं हुआ है, कि रिवीजनकर्ता ने विपक्षिनी संख्या 2 से उपहार स्वरुप दिया गया जेवरात छीनकर घर से निकाल दिया। अतः अन्य कथनों के साथ अनुरोध किया कि उन्मोचन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाये।

5– विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर परिवादिनी को आपत्ति का अवसर देने के पश्चात आपत्ति का अवलोकन करते हुए आलोच्य आदेश दिनांक 15.12.2025 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 245(2) दं.प्र.सं. निरस्त कर दिया गया, जिससे क्षुब्ध होकर निगरानीकर्ता द्वारा यह आपराधिक निगरानी संस्थित की गयी है।

6– निगरानी में उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

7– निगरानी में आधार व तर्क लिये गये हैं कि आलोच्य आदेश दिनांकित 15.12.2025 विधि विरुद्ध है और निरस्त होने योग्य है। विचारण न्यायालय में धारा 244 दं.प्र.सं. का बयान हो जाने के उपरान्त धारा 245(2) दं.प्र.सं. के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र दिया था, परन्तु विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन न कर प्रार्थना पत्र 245(2) दं.प्र.सं. निरस्त कर दिया। रिवीजनकर्ता व उसके माता पिता के

विरुद्ध मु.अप.सं. 331/2000 विपक्षिनी संख्या 2 ने पंजीकृत कराया था, जिसमें विवेचक द्वारा अन्तिम आख्या प्रेषित कर दी गयी थी जिस पर विपक्षिनी द्वारा न्यायालय समक्ष प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया और विपक्षिनी द्वारा प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र पर पैरवी न करने के कारण उसे निरस्त किया गया और अन्तिम आख्या स्वीकार की गयी। विपक्षिनी संख्या 2 ने दहेज एक्ट के मुकदमें व भरण पोषण के वाद में कहीं भी नहीं दर्शाया कि मेरा स्त्रीधऩ छीनकर घर से निकला दिया। विचारण न्यायालय में हुए वादिनी एवं गवाहन के बयान से साबित नहीं हुआ है, कि रिवीजनकर्ता ने विपक्षिनी संख्या 2 से उपहार स्वरुप दिया गया जेवरात छीनकर घर से निकाल दिया, अनुरोध किया कि निगरानी स्वीकार की जाये।

8– निगरानी के विरोध में उत्तरदाता संख्या 02 की तरफ से आपत्ति का०सं० 13 बी प्रस्तुत कर तर्क रखे गये कि निगरानी पोषणीय नहीं है निरस्त होने योग्य है। विचारण न्यायालय द्वारा पर्याप्त साक्ष्य व आपत्ति के आधार पर निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 245(2) दं.प्र.सं. निरस्त किया गया। रिवीजनकर्ता व उसके माता पिता के विरुद्ध जो मु.अप.सं. 331/2000 अन्तर्गत धारा 498 भा.दं.सं. व ¾ डी.पी. एक्ट में पंजीकृत कराया गया था उसमें विवेचक के द्वारा प्रेषित अन्तिम आख्या को विचारण न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया। रिवीजनकर्ता के विरुद्ध धारा 125 दं.प्र.सं. का भरण पोषण का मुकदमा संस्थित किया गया जो एकपक्षीय निर्णीत हुआ जिसमें वसूली हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया और उसमें रिवीजनकर्ता ने आज तक भरण पोषण से बंचित रखा। रिविजनकर्ता के विरुद्ध धारा 406 भा.दं.सं. का परिवाद प्रस्तुत किया गया जिसमें स्त्रीधन को परिवाद के अन्त में सूचीबद्ध किया गया, अनुरोध किया कि निगरानी खण्डित की जाए।

9– उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली से विदित है कि परिवादी के परिवाद पर विचारण न्यायालय ने अभियुक्तगण को विचारण हेतु आहूत किया किन्तु पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उसके उपरांत काफी समय तक माननीय उच्च न्यायालय से परिवाद की कार्यवाही स्थगित रही एवं स्थगन समाप्त होने के उपरांत परिवादिनी एवं उसके दो अन्य साक्षियों का बयान धारा 244 दं०प्र०सं० अंकित किया गया जिसमें साक्षीगण ने परिवादिनी के परिवाद कथानक का प्रथम दृष्टया समर्थन किया है। जहां तक निगरानीकर्ता का यह तर्क कि परिवादिनी ने अपने परिवाद में स्त्रीधन का विस्तृत वर्णन सूची के साथ नहीं दिया है इसलिए धारा 406 भा०दं०सं० के प्राविधान आकर्षित नहीं होते हैं, इस स्तर पर असत्य है क्योंकि परिवाद के अन्त में ही परिवादिनी ने ससुराल पक्ष से मिले सोने चांदी के जेवरात व कीमती वस्त्र एवं मायके से मिले जेवरात की सूची प्रस्तुत की है। यह भी दृष्टव्य है कि अभियुक्तगण द्वारा उन्मोचन प्रार्थनापत्र में जो आधार लिये हैं उनसे घटना झूठी अथवा असत्य होना प्रकट नही होता है एवं जिन साक्षियों के साक्ष्य के संबंध में

जो तर्क निगरानीकर्ता ने लिये हैं वह विचारण का विषय है।

10– विद्वान विचारण न्यायालय ने न्यायिक मस्तिष्क व विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए अभियुक्तगण का उन्मोचन प्रार्थनापत्र निरस्त किया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है, तदनुसार बलहीन होने के कारण निगरानी खण्डित होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

दाण्डिक निगरानी खण्डित की जाती है।

अभिलेख नियमानुसार संबंधित न्यायालय को अविलंब वापस प्रेषित किया जाए।

दिनांकः 03.06.2026

(नीरज कुमार)
आई०डी०नं०यू०पी० 1907
सत्र न्यायाधीश
फर्रूखाबाद

आज निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर उदघोषित किया गया।

दिनांकः 03.06.2026

(नीरज कुमार)
आई०डी०नं०यू०पी० 1907
सत्र न्यायाधीश
फर्रूखाबाद